रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 3 अक्तूबर, 2000/11 आश्विन, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 25 सितम्बर, 2000

संख्या पी सी एन-एम एन डी-ए (1) 104/92-10400-405—उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के उपनियम 3 के अन्तर्गत प्राप्त है, मैं, प्रबोध सक्सेना, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश श्रीमती पवन कुमारी, सदस्य, पंचायत समिति चौंतड़ा, वार्ड नं० 19 पीहड़ बेहल का त्याग-पत्र दिनांक 8 अगस्त, 2000 से स्वीकार करता हूं तथा उक्त पद को रिक्त घोषित करता हूं।

प्रबोध सक्सेना,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन-173212, 23 सितम्बर, 2000

संख्या एस0 एल0 एन0-4-68 (पंच)/78-4486-92.—जैसा कि श्री राम लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बेरल, विकास खण्ड कुनिहार के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस कार्यालय के पृष्ठांकन समसंख्यक दिनांक 8-9-99 द्वारा दिया गया है जिसका उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार के माध्यम से मदवार टिप्पणियों सहित प्राप्त हुआ है जिसका जांच करने पर पाया गया कि अधिकांश पैरों का उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः उक्त प्रधान निम्नलिखित आरोपों में दोषी पाए गए हैं ;

यह है कि उक्त प्रधान श्री राम लाल, ग्राम पंचायत बेरल अधिकांश योजनाओं को अधूरा छोड़ने के दोषी पाए गए हैं ;

यह है कि उक्त प्रधान, ग्राम पंचायत रोकड़ अनुसार विकास योजनाओं के लिए ली गई पेशगी राशि में से मु0 10,460.80 रुपये पेशगी के रूप में अपने पास अनाधिकृत रूप से रख कर राशि को दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए हैं जैसा कि खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया है ;

यह है कि खण्ड विकास अधिकारी, कुनिहार की दिनांक 5-9-2000 की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रधान दिनांक 27-3-97 से मु0 9100/- रुपये की राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रखने के दोषी पाए गए हैं ;

यह है कि ग्राम पंचायत बेरल के प्रस्ताव संख्या 4, दिनांक 4-9-2000 अनुसार उक्त प्रधान, ग्राम पंचायत की बैठकों से दिनांक 12-7-2000, 25-7-2000, 10-8-2000 तथा 25-8-2000 को अनुपस्थित रह कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की उल्लंघना करने के दोषी पाए गए हैं ;

यह है कि उक्त प्रधान श्री राम लाल पुत्र श्री नत्थु राम का नाम ग्राम पंचायत बेरल के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है और न ही पंचायत में अपना कोई रिहायशी मकान है जिसके दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 4 (3) के अन्तर्गत ग्राम सभा बेरल का सदस्य नहीं है । जबकि उक्त प्रधान का नाम ग्राम पंचायत छकोह, तहसील सदर बिलासपुर के परिवार रजिस्टर में दर्ज है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रधान ने ग्राम पंचायत बेरल के प्रधान पद पर बने रह कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना की है ;

यह है कि उक्त प्रधान श्री राम लाल पुत्र श्री नत्थु राम का नाम अपने परिवार के नाम सहित ग्राम पंचायत बेरल क वार्ड संख्या 5—भटेच के क्र0 सं0 65 से 68 तक अनुपूरक मतदाता सूची में सम्मिलित है जबकि उक्त प्रधान का नाम व उसके परिवार का नाम नगर निगम शिमला के वार्ड संख्या 1 में क्र0 सं0 92 स 95 पर भी अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्रधान ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 14 की उल्लंघना की है ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राम लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बेरल, विकास खण्ड कुनिहार ने अपने पद, कर्त्तव्य तथा सरकारी धन राशि का दुरुपयोग करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम/नियम का उल्लंघन किया है इसलिए उनका प्रधान पद पर बने रहना जनहित में उचित नहीं ;

अतः मैं, के0 संजय मूर्ति, उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (ए)

के अन्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत बेरल, विकास खण्ड कुनिहार को उनके पद से तत्काल निलम्बित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि प्रधान पद का समस्त कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बेरल को सौंप दे और यदि उनके पास ग्राम पंचायत बेरल के अभिलेख अथवा सम्पत्ति हो तो उसे भी वह ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बेरल को सौंप दे ।

के0 संजय मूर्ति,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

अधिसूचना

नाहन, 23 सितम्बर, 2000

संख्या एफ0 डी0 एस0 34-690/77-6835-89.--अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्या 4963—5023, दिनांक 5-8-2000 जो कि हिमाचल प्रदेश असाधारण राजपत्र में दिनांक 7-8-2000 को प्रकाशित हो चुकी है की निरन्तरता में मैं, राकेश कौशल (भा0 प्र0 से0) जिला दण्डाधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश (हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा-3 (1)(ई) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में दर्शाई आवश्यक वस्तुओं के थोक व परचून मूल्यों को इस अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात आगामी दो मास तक लागू करने के सहर्ष आदेश देता हूं ।

राकेश कौशल (भा0 प्र0 से0),
जिला दण्डाधिकारी,
जिला सिरमौर (नाहन) ।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित